मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक —02—2022

क्रमांक / /3158/2021/सत्रह/मेडि—1 :: कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जिला मन्दसौर म0प्र0 के पत्र 150/सा.लेख./2021, दिनांक 19.01.2021 द्वारा थाना कोतवाली, मंदसौर के अपराध कमांक 562/2018, धारा 420, 409, 353 भा.द.वि. एवं धारा—5 गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 के विरूद्ध धारा 197 जा.फो. के अन्तर्गत डॉ. कैलाश गर्ग पिता श्री धनीराम गर्ग, शासकीय चिकित्सक, हाल निवासी फेज—4/47 यशनगर, मंदसौर के विरूद्ध दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 197 के अन्तर्गत म.प्र. शासन की अभियोजन स्वीकृति चाही गई है।

2/— अभिलेखों के अनुसार प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आरोपी डॉ कैलाश गर्ग, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हतुनिया, जिला मंदसौर द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन सोनोग्राफी मशीन का संचालन कर अवैध रूप से लाभ अर्जित करने एवं गर्भधारण पूर्व प्रसूतिपूर्व निदान तकनीकी (लिंग चयन प्रतिशोध अधिनियम) समापन अधिनियम 1971 की धारा 5 मे वर्णित मानकों का पालन नही किया गया। जिसके अनुकम में जिला मजिस्ट्रेट जिला मंदसौर द्वारा अवगत कराया कि कार्यालय उप संचालक अभियोजन जिला मंदसौर ने अभिमत दिया है कि प्रथम दृष्टया आरोपी डॉ. कैलाश गर्ग, शासकीय चिकित्सक के द्वारा उक्त कृत्य व्यक्तिगत अथवा निजी क्षमता में कार्य नहीं किया जाकर शासकीय सेवक रहते हुए पदीय कर्तव्य के निर्वहन के अनुकम में किया गया है ,इस प्रकार अभियोजन स्वीकृति आवश्यक है। उप संचालक, अभियोजन, जिला मंदसौर द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिमत के कम में अभियोजन स्वीकृति के लिये पर्याप्त आधार होने से अभियोजन स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।

3/— संचालनालय स्तर पर गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07.09.2021 में यह निर्णय लिया गया कि संचालक राज्य समुचित प्राधिकारी पी.सी.पी.एन.डी.टी. संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं के पत्र कमांक 103/डी.डी.—03/पी.एन.डी.टी./2020/341/दिनांक 02.12.2020 के द्वारा कलेक्टर मंदसौर को गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव निदान तकनीकी (लिंग चयन प्रतिशेष) अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत भी अतिरिक्त रूप से आवश्यकता अनुसार परिवाद पंजीबद्ध करने की कार्यवाही के साथ ही उपरोक्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में डॉ. कैलाश गर्ग के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदाय करने की अनुशंसा समिति द्वारा की गई है।

4/— तद्नुसार राज्य शासन एतद्द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र कमांक एफ 15—1/2014/1—10, दिनांक 05.09.2014 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.04.2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. कैलाश गर्ग, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हतुनिया, जिला मंदसौर आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली, मंदसौर, जिला मंदसौर के अपराध कमांक 562/2018 धारा 420,409,353 भा.द.वि. एवं धारा—5 गर्भ का चिकित्सकीय

समापन अधिनियम, 1971 की धारा–197 जा.फो. में आरोपी डॉ. कैलाश गर्ग पिता श्री धनीराम गर्ग, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हतुनिया, जिला मंदसौर के विरूद्ध दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा–197 के अन्तर्गत अभियोजन संस्थित करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सीमा डहेरिया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क0 / 337 / 3158 / 2012 / सत्रह / मेडि–1 भोपाल, दिनांक 25 / 02 / 2022

प्रतिलिपि :–

1– अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2– प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3– आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4– कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला मंदसौर (म.प्र.) की ओर उनके पत्र कमांक 150 / सा लेख / 2021, दिनांक 19.01.2021 के संदर्भ में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5– क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
6– उप संचालक, विज्ञप्त / लीगल / शिकायत, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, म.प्र. भोपाल।
7– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मंदसौर, म.प्र.।
8– आदेश नस्ती।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग